कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन,प्रथम तल,ब्लॉक2-,नवा रायपुर,अटल नगर

फोन नं0771-2234584 ,0771-2234583 ., ई-मेल-clr-cg@nic.in

क्रमांक/5851/आ.भू.अ./भुइयां/2026 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23/09/26

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
(भू-अभिलेख शाखा)
जिला- ....

विषय: ई-कोर्ट अंतर्गत सीमांकन आवेदन हेतु यूजर मेनुअल एवं मॉड्यूल को लाइव किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ: विभागीय पत्र क्रमांक/5696/आ.भू.अ./भुइयां/2026 दिनांक 16.09.2026|

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत सीमांकन हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश पूर्व में प्रेषित किए जा चुके हैं। उपरोक्तानुसार ऑनलाइन मॉड्यूल के संचालन एवं विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया से संबंधित यूजर मेनुअल संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः संलग्न यूजर मेनुअल का अवलोकन कर संबंधित राजस्व न्यायालयों, तहसीलदारों एवं राजस्व निरीक्षकों को आवश्यक रूप से अवगत कराने तथा नवीन ऑनलाइन व्यवस्था के अनुरूप सीमांकन की कार्यवाही करने का कष्ट करें |

संलग्न: उपरोक्तानुसार

Digitally signed by
Vinit Nandanwar
Date: 23-09-2026
11:55:02

संचालक
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

पृ.क्र./5852/आ.भू.अ/भुइयां/2026 नवा रायपुर,अटल नगर दिनांक 23/09/26.

प्रतिलिपि:

1.सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2.वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की ओर सूचनार्थ प्रेषित| सीमांकन हेतु विकसित ऑनलाइन मॉड्यूल को Live किए जाने हेतु आवश्यक तकनीकी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

VINIT NANDANWAR
SPECIAL SECRETARY
संचालक
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

राजस्व न्यायालय ऑनलाइन पोर्टल

उपयोगकर्ता विवरण पुस्तिका (User Manual)

विषय: नागरिक द्वारा प्राप्त सीमांकन आवेदनों की प्रक्रिया एवं कार्यवाही

(तहसीलदार / नायब तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार हेतु)

1. परिचय (Introduction)

यह उपयोगकर्ता पुस्तिका राजस्व न्यायालय पोर्टल के अंतर्गत नागरिकों द्वारा जमा किए गए सीमांकन आवेदनों पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा की जाने वाली ऑनलाइन कार्यवाहियों को क्रमबद्ध रूप से समझाने हेतु तैयार की गई है।

चरण 1: अधिकारी लॉगिन (Officer Login)

1. सबसे पहले आधिकारिक राजस्व न्यायालय पोर्टल (revenue.cg.nic.in/revcase/login.aspx) पर जाएं।

2. अपने अधिकृत यूजर आईडी (User ID) एवं पासवर्ड का उपयोग करके पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार / नायब तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार) के रूप में लॉगिन करें।

चरण 2: मेनू चयन एवं डैशबोर्ड नेविगेशन (Menu & Dashboard Navigation)

1. लॉगिन के पश्चात मुख्य पृष्ठ पर स्थित 'प्रकरण एवं कार्यवाही की प्रविष्टि' मेनू पर क्लिक करें।

2. इसके अंतर्गत सब-मेनू 'नागरिक आवेदन' का चयन करें।

3. तत्पश्चात 'नागरिक द्वारा प्राप्त सीमांकन आवेदन' विकल्प पर क्लिक करें।

4. वैकल्पिक रूप से, आप डैशबोर्ड पर प्रदर्शित 'नागरिक द्वारा प्राप्त सीमांकन आवेदनों की संख्या' लिंक पर भी सीधे क्लिक कर सकते हैं।

चरण 3: आवेदन सूची एवं प्रकरण क्रमांक दर्ज करना (Application List & Case Number Registration)

1. चयनित मॉड्यूल में सभी प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकरण क्रमांक (Case Number) के साथ प्रदर्शित होगी।

2. यदि किसी आवेदन का प्रकरण क्रमांक स्वतः दर्ज नहीं हुआ है, तो नियत स्थान CLICK पर प्रकरण क्रमांक दर्ज करें।

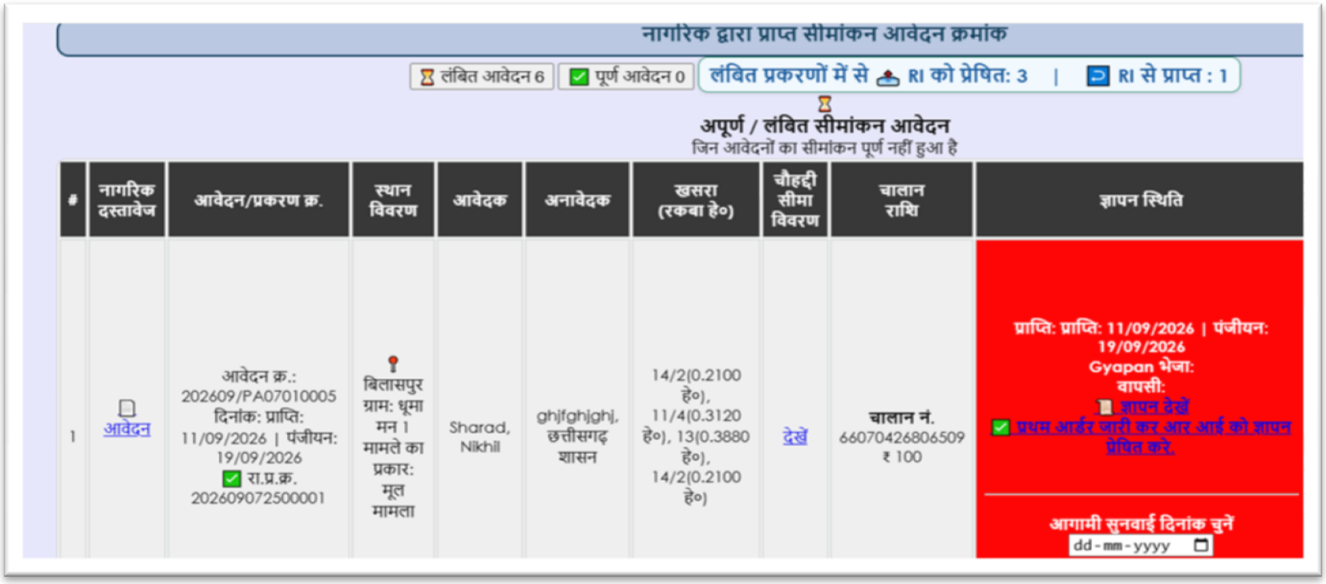

चरण 4: आवेदक एवं प्रकरण विवरण का अवलोकन (Viewing Applicant Details)

प्रकरण तालिका में आवेदक एवं संबंधित मामले की विस्तृत जानकारी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें:

• आवेदन क्रमांक एवं दिनांक

• स्थान विवरण (जिला, तहसील, ग्राम, मामले का प्रकार)

• आवेदक एवं अनावेदक का नाम व पता

• खसरा / रकबा विवरण (जैसे: 14/2 - 0.2100 हे०, 11/4 - 0.3120 हे० आदि)

• चौहद्दी सीमा विवरण ('देखें' लिंक पर क्लिक करके)

• चालान विवरण (चालान नंबर एवं राशि, उदा० 660708123123 / रु 50)

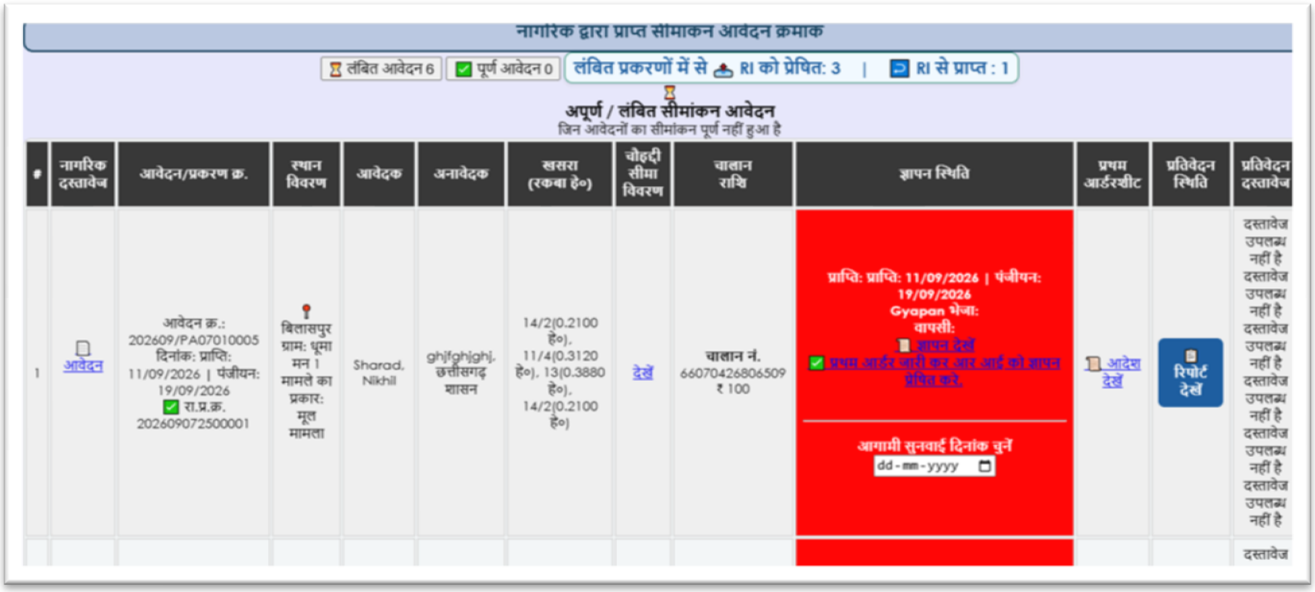
नागरिक द्वारा प्राप्त सीमांकन आवेदन क्रमांक
लंबित आवेदन 6
पूर्ण आवेदन 0
लंबित प्रकरणों में से RI को प्रेषित: 3 | RI से प्राप्त : 1
अपूर्ण / लंबित सीमांकन आवेदन
जिन आवेदनों का सीमांकन पूर्ण नहीं हुआ है
| नागरिक दस्तावेज | आवेदन/प्रकरण क्र. | स्थान विवरण | आवेदक | अनावेदक | खसरा (रकबा हे०) | चौहद्दी सीमा विवरण | चालान राशि | ज्ञापन स्थिति | प्रथम आर्डरशीट | प्रतिवेदन स्थिति | प्रतिवेदन दस्तावेज
1
आवेदन
आवेदन क्र.: 202609/PA07010005 दिनांक: प्राप्ति: 11/09/2026 | पंजीयन: 19/09/2026 रा.प्र.क्र. 202609072500001
बिलासपुर ग्राम: धूमा मन 1 मामले का प्रकार: मूल मामला
Sharad, Nikhil
ghjfghjghj, छत्तीसगढ़ शासन
14/2(0.2100 हे०), 11/4(0.3120 हे०), 13(0.3880 हे०), 14/2(0.2100 हे०)
देखें
चालान नं. 66070426806509 ₹ 100
प्राप्ति: प्राप्ति: 11/09/2026 | पंजीयन: 19/09/2026 Gyapan भेजा: वापसी:
ज्ञापन देखें
प्रथम आर्डर जारी कर आर आई को ज्ञापन प्रेषित करे.
आगामी सुनवाई दिनांक चुनें
dd-mm-yyyy
आदेश देखें
रिपोर्ट देखें
दस्तावेज उपलब्ध नहीं है दस्तावेज उपलब्ध नहीं है दस्तावेज उपलब्ध नहीं है दस्तावेज उपलब्ध नहीं है दस्तावेज उपलब्ध नहीं है दस्तावेज उपलब्ध नहीं है
दस्तावेज

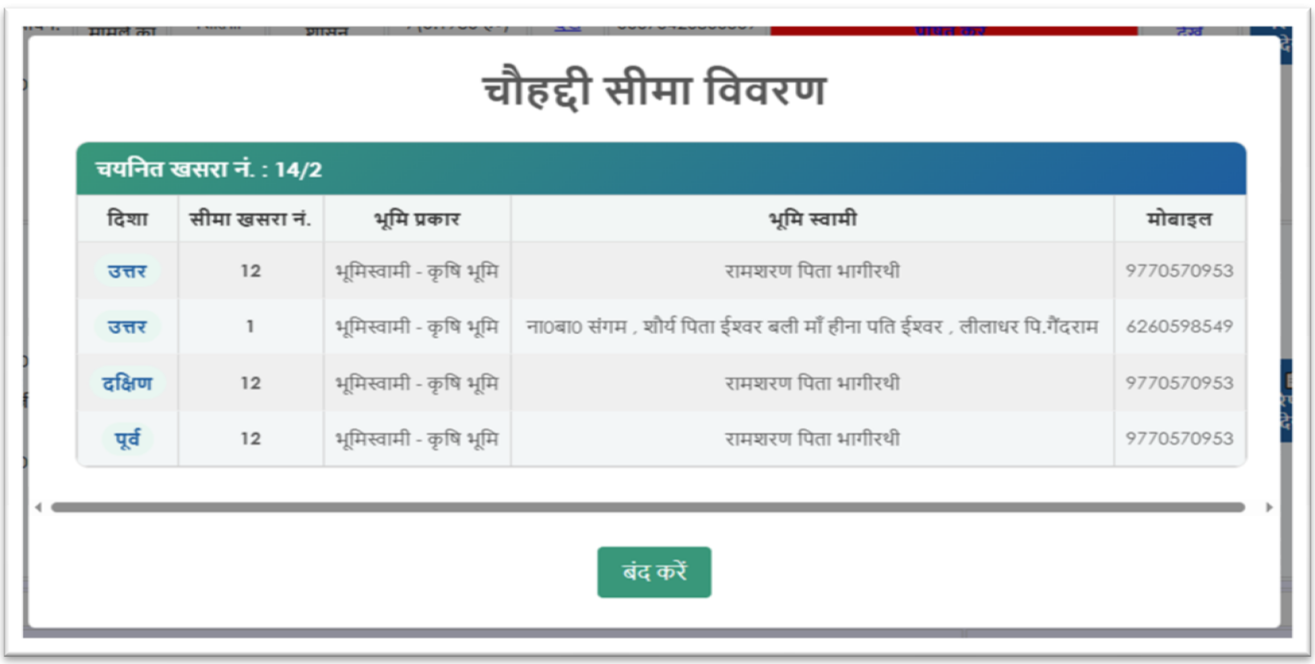
चौहद्दी सीमा विवरण
चयनित खसरा नं. : 14/2
दिशा | सीमा खसरा नं. | भूमि प्रकार | भूमि स्वामी | मोबाइल
उत्तर | 12 | भूमिस्वामी - कृषि भूमि | रामशरण पिता भागीरथी | 9770570953
उत्तर | 1 | भूमिस्वामी - कृषि भूमि | ना0बा0 संगम , शौर्य पिता ईश्वर बली माँ हीना पति ईश्वर , लीलाधर पि.गैंदराम | 6260598549
दक्षिण | 12 | भूमिस्वामी - कृषि भूमि | रामशरण पिता भागीरथी | 9770570953
पूर्व | 12 | भूमिस्वामी - कृषि भूमि | रामशरण पिता भागीरथी | 9770570953
बंद करें

तालिका: पोर्टल फ़ील्ड्स एवं विवरण

फ़ील्ड का नाम	विवरण / सामग्री	की जाने वाली कार्यवाही
नागरिक दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज	आवेदक के अपलोड किए दस्तावेज देखें
स्थान विवरण	ग्राम, तहसील, मामला प्रकार	स्थान एवं मामले का प्रकार सत्यापित करें
खसरा (रकबा)	खसरा नंबर एवं क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	संबंधित भूमि विवरण की जाँच करें
चौहद्दी विवरण	आस-पास के सीमावर्ती विवरण	'देखें' बटन से चौहद्दी जाँचें
चालान राशि	चालान नं. एवं शुल्क राशि	भुगतान स्थिति की पुष्टि करें
ज्ञापन स्थिति	ज्ञापन जारी करने की तिथि व स्थिति	'RI हेतु ज्ञापन जारी करें' लिंक का प्रयोग करें
प्रथम आदेशशीट	प्रारंभिक आदेश पत्र	'आदेश देखें' पर क्लिक करें
प्रतिवेदन स्थिति	RI द्वारा भेजी गई रिपोर्ट	'रिपोर्ट देखें' पर क्लिक करें
प्रतिवेदन दस्तावेज	RI द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़	अंतिम कॉलम से दस्तावेज़ डाउनलोड/देखें

चरण 5: ज्ञापन एवं प्रथम आदेश पत्र जारी करना (Issuing Notice & First Order)

1. ज्ञापन देखने से पूर्व आगामी सुनवाई दिनांक जरुर चुनें (सुनवाई दिनांक आज के पूर्व व् 1 माह के पश्चात् का ना हो) |
2. 'ज्ञापन स्थिति' कॉलम में जाकर 'ज्ञापन देखें' पर क्लिक करें तथा प्रारूप का अवलोकन करें।
3. ज्ञापन देखने के उपरांत, प्रथम आदेश पत्र तैयार करें।
4. राजस्व निरीक्षक (RI) को सीमांकन हेतु आदेशित करने के लिए 'RI हेतु ज्ञापन जारी करें' बटन पर क्लिक करें।

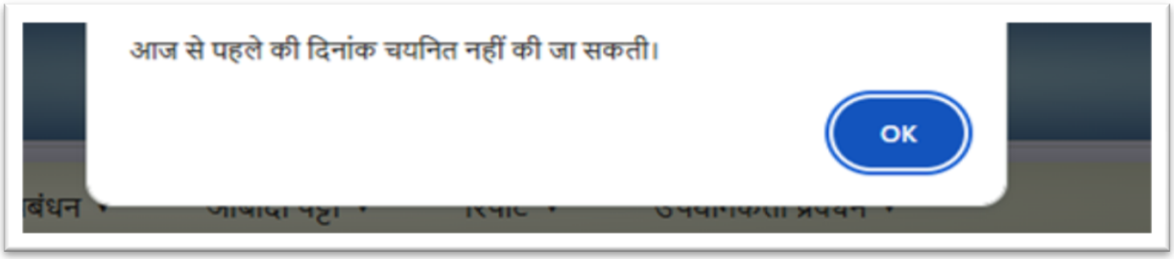
आज से पहले की दिनांक चयनित नहीं की जा सकती।
OK

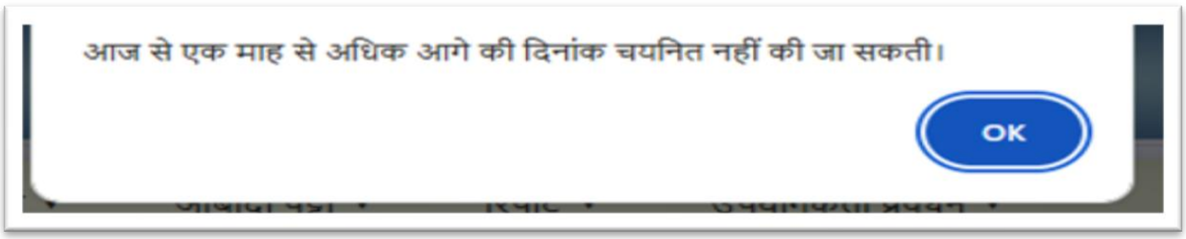
आज से एक माह से अधिक आगे की दिनांक चयनित नहीं की जा सकती।
OK

नहीं है
इश्तेहार
नोटिस
दस्तावेज उपलब्ध नहीं है
दस्तावेज उपलब्ध नहीं है
दस्तावेज उपलब्ध नहीं है
दस्तावेज उपलब्ध नहीं है
प्राप्ति: प्राप्ति: 12/09/2026 | पंजीयन: 12/09/2026
Gyapan भेजा: 16-09-2026
वापसी:
ज्ञापन देखें
आगामी सुनवाई दिनांक चुनें
dd-mm-yyyy
आदेश देखें
रिपोर्ट देखें

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर जिला - बिलासपुर

//ज्ञापन//

रा. प्र. क्र. **202609072500008** / तहसीलदार/अ-12 / वर्ष 2025-26 दिनांक **20/09/2026 15:31:13**

प्रति,

संतोष देवांगन (मो. नं - **123456789**)

राजस्व निरीक्षक

रा.नि.मं सिरगिट्टी

जिला **बिलासपुर** तहसील **बिलासपुर**

विषय:- सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत |

-- oo --

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य मे लेख है कि, आवेदक **test, fgddfg** द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 छ. ग. भू- राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया है कि, ग्राम **धूमा मन 1**, प.ह.नं.**00045**, रा.नि.मं **सिरगिट्टी** तहसील **बिलासपुर**, जिला **बिलासपुर** छ0ग0 स्थित भूमि खसरा क्रमांक (रकबा) क्रमशः **14/2(0.2100 है०)** भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है| आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का सीमांकन किये जाने बी-1, खसरा, एवं चालान की प्रति सहित न्यायालय मे आवेदन प्रस्तुत किया है |

अतः उक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये आवेदित भूमि का विधिवत सीमांकन कर प्रतिवेदन इस न्यायालय मे दिनांक 21/10/2026 00:00:00 के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें |

TULARAM BHARDWAJ

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर जिला - बिलासपुर

रा. प्र. क्र. **202609072500008** / वाचक/ तहसीलदार / 2025-26 दिनांक : 20/09/2026 15:31:13

प्रतिलिपि-

आवेदक/आवेदिका को सूचनार्थ।

TULARAM BHARDWAJ

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर जिला - बिलासपुर

फार्म 'अ'

(परिपत्र बी-1 की कडिका 6 देखिए)

राजस्व आदेश पत्र (रेव्हेन्यू आर्डर शीट)

न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर जिला - बिलासपुर

प्रकार:-मूल मामला **राजस्व प्रकरण क्रमांक: 202609072500013/ सन:- 2025-2026**

मामले की श्रेणी:- **विषय:- अ-12 (सीमांकन)**

वाद भूमि :

तहसील: बिलासपुर ग्राम : धूमा मन 1(प.ह.न.- 00045) खसरे :13(0.3880)

Nikhil पिता/पति/विभाग-Nikhil पता-

-:आवेदक

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ शासन पिता/पति/विभाग- छत्तीसगढ़ शासन पता-- अन्य 1

-:अनावेदक

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही	जहां आवश्यक हो पक्षो/ वकीलो / प्रस्तुतकार लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर
21/09/2026	आवेदक Nikhil निवासी- द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 129 छ0ग0 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया है कि, ग्राम धूमा मन 1 प0ह0नं0 00045 रा.नि.मं. सिरगिट्टी तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 13(0.3880 हे०)। भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का सीमांकन किये जाने बी-1, खसरा एवं चालान की प्रति सहित ऑनलाइन आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रकरण पंजीकृत हो चुका है। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को सीमांकन हेतु ज्ञापन जारी किया जावे।- सुनवाई दिनांक: Sep 24 202 (TULARAM BHARDWAJ) तहसीलदार तहसील - बिलासपुर	

चरण 6: प्रतिवेदन स्थिति एवं दस्तावेज अवलोकन (Monitoring RI Report & Final Documents)

1. ज्ञापन जारी होने के बाद, अगले कॉलम ('प्रतिवेदन स्थिति') से समय-समय पर RI द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

2. RI द्वारा सीमांकन कार्य पूर्ण होने के पश्चात अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज तालिका के अंतिम कॉलम ('प्रतिवेदन दस्तावेज') से देखें तथा डाउनलोड करें।

कार्यालय राजस्व निरीक्षक सिरगिट्टी , तहसील बिलासपुर जिला बिलासपुर

आम सूचना

दिनांक - 18/09/2026

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका **test पिता-testपता-,fgddfg पिता-testपता-** द्वारा द्वारा आवेदित ग्राम **धूमा मन 1** प.ह.न. **00045** राजस्व निरीक्षक मंडल सिरगिट्टी स्थित भूमि खसरा नंबर **14/2 (0.2100),14/2 (0.2100)** हेक्टेयर का सीमांकन **न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर जिला - बिलासपुर** के रा०/ रा० प्र० क्र० **202609072500008 बिलासपुर** के आदेश दिनांक 17/09/2026 के परिपालन मे दिनांक बजे पश्चात किया जाना है। अतः उक्त भूमि के सीमांकन मे जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो वह उक्त दिनांक **25/09/2026** को पूर्वान्ह/अपरान्ह______समय तक पटवारी हल्का नंबर **00045** के स्थित कार्यालय मे दस्तावेजों सहित स्वयं अथवा अपने वैध अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद के किसी दावा या आपत्ति पर मेरे द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं होगा। अतः सूचना जानें।

राजस्व निरीक्षक:संतोष देवांगन

सिरगिट्टी

टीप:- हल्का पटवारी ,समीपस्थ भूमिधारियो को सुचना जारी करते हुए निर्धारित दिनांक एवं समय पर अभिलेख सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

महत्वपूर्ण निर्देश एवं दिशा) निर्देश-Notes & Guidelines)

- 📌 **सीमांकन समय-सीमा:**

  कृपया R.I. को ज्ञापन आवेदन आने के अगले 3 कार्य दिवस के भीतर आवश्यक रूप से भेजें। सीमांकन हेतु लोक सेवा गारंटी अनुसार **30 दिवस** निर्धारित किए गए हैं। सुनवाई दिनांक चुनने, R.I. प्रतिवेदन भेजने का दिनांक, प्राप्त दिनांक आदि का निर्धारण **कार्य दिवसों के अनुसार** ही होगा।

- 🛠️ **तकनीकी सहायता (Technical Support):**

  सॉफ्टवेयर से संबंधित **तकनीकी समस्या (Technical Issue)** व उसके निराकरण हेतु इसे **राजस्व न्यायालय के Bugtrack में आवश्यक रूप से भेजें।**

- ⚠ **ब्राउज़र एवं कार्य संचालन सुरक्षा निर्देश:**

  केवल एक समय पर एक ही प्रकरण (Case) पर कार्यवाही करें। ब्राउज़र में **Multiple Tabs** ओपन करके एक साथ कई मामलों पर कार्य न करें।

महत्वपूर्ण सूचना (Important Note):

कृपया सुनिश्चित करें कि RI प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सभी संलग्न दस्तावेजों की जाँच भली-भांति कर ली जाए तथा आर आई से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आप आगामी आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं |

छत्तीसगढ़ शासन — राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

भुइयां पोर्टल भू-अभिलेख प्रणाली

राजस्व निरीक्षक (RI) सीमांकन मॉड्यूल — विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) एवं उपयोगकर्ता निर्देशिका

ई-कोर्ट से प्राप्त सीमांकन प्रकरणों के निराकरण, नोटिस/इश्तेहार प्रेषण, स्थल जांच एवं प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु कार्यप्रणाली

विभाग	प्रणाली मॉड्यूल	लक्षित उपयोगकर्ता	दस्तावेज़ वर्गीकरण
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़	भुइयां भू-अभिलेख पोर्टल (ई-कोर्ट / सीमांकन)	राजस्व निरीक्षक (RI / Revenue Inspector)	विभागीय कार्य संचालन निर्देशिका (v1.0)

1. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र (Purpose & Scope)

प्रस्तुत उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका का उद्देश्य राजस्व निरीक्षकों (RI) को न्यायालय तहसीलदार (ई-कोर्ट) से अग्रेषित सीमांकन प्रकरणों को ऑनलाइन प्राप्त करने, आवेदक द्वारा दर्ज चौहद्दीदार भूस्वामियों का सत्यापन व छूटे हुए सीमावर्ती कृषकों को जोड़ने, स्थल सीमांकन की तिथि निर्धारण, डिजिटल इश्तेहार व व्यक्तिगत नोटिस प्रेषण, स्थल पंचनामा व फील्ड बुक तैयार कर डिजिटल प्रतिवेदन अपलोड करने तथा प्राप्त आपत्तियों के प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया से विधिवत अवगत कराना है।

चरण 1: पोर्टल लॉगिन एवं डैशबोर्ड अवलोकन (Login & Dashboard)

1.1 सूचना पटल पर लंबित सीमांकन प्रकरणों की संख्या देखना

राजस्व निरीक्षक (RI) द्वारा भुइयां पोर्टल (https://revenue.cg.nic.in/bhuiyanreport/LoginPage.aspx) में अपने अधिकृत लॉगिन आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करने पर मुख्य सूचना पटल (Dashboard) प्रदर्शित होता है। यहाँ न्यायालय तहसीलदार (ई-कोर्ट) द्वारा अग्रेषित कुल लंबित सीमांकन प्रकरणों का विवरण प्राप्त होता है:

- • मुख्य पृष्ठ पर "ई-कोर्ट से सीमांकन प्रतिवेदन हेतु प्राप्त प्रकरण" लिंक का अवलोकन करें।
- • प्रदर्शित नीले रंग की संख्या (उदा. 4) संबंधित आर.आई. मंडल में लंबित प्रकरणों की कुल संख्या इंगित करती है।
- • मंडल के अंतर्गत ग्रामवार विवरण देखने हेतु इस संख्या लिंक पर क्लिक करें।

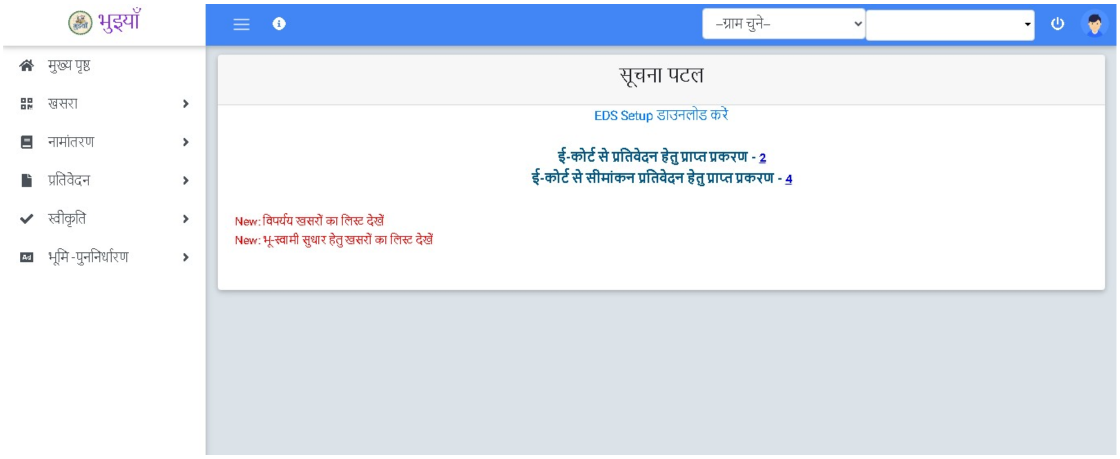

चित्र 1.1: राजस्व निरीक्षक लॉगिन सूचना पटल पर ई-कोर्ट से सीमांकन हेतु प्राप्त कुल प्रकरणों का प्रदर्शन।

चरण 2: ग्रामवार प्रकरण विवरण (Village-wise Case List)

2.1 ग्रामवार लंबित प्रकरण सूची देखना

सूचना पटल पर कुल संख्या लिंक पर क्लिक करने के पश्चात राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के अनुसार प्रकरणों का वर्गीकरण प्रदर्शित होता है:

- • तालिका में सरल क्रमांक, ग्राम का नाम तथा संबंधित ग्राम में लंबित कुल प्रकरणों की संख्या प्रदर्शित होती है।
- • संबंधित ग्राम के प्रकरणों की विस्तृत सूची खोलने हेतु "कुल संख्या" कॉलम में दी गई नीली संख्या पर क्लिक करें।

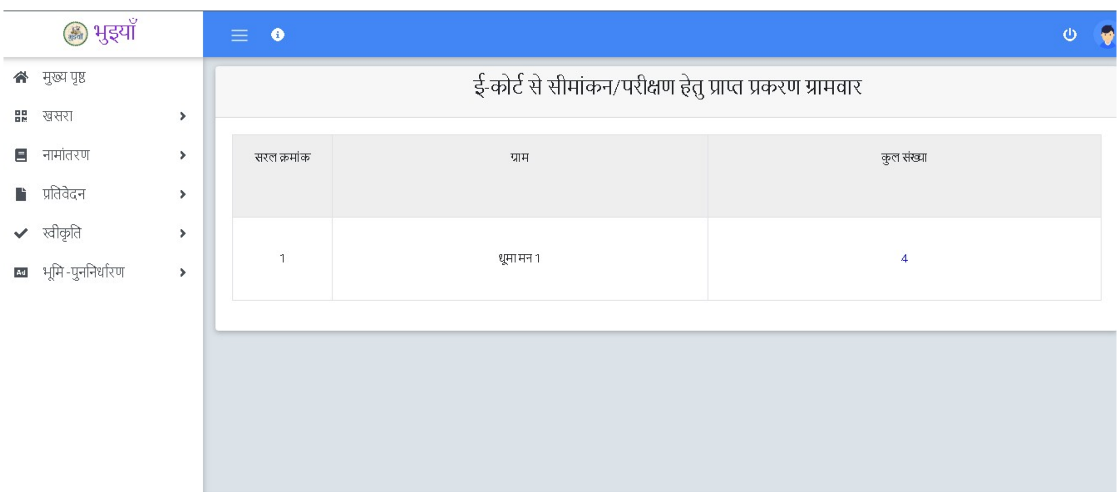

चित्र 2.1: ई-कोर्ट से सीमांकन/ परीक्षण हेतु प्राप्त ग्रामवार प्रकरण तालिका।

चरण 3: प्रकरण अभिलेख एवं ज्ञापन अवलोकन (Case Details & Order Check)

3.1 प्रकरण विवरण, अधिकारी ज्ञापन एवं समय-सीमा की जांच

ग्रामवार संख्या पर क्लिक करने पर उस ग्राम के समस्त लंबित सीमांकन प्रकरणों का विवरण ग्रिड तालिका में प्रदर्शित होता है। राजस्व निरीक्षक को निम्न विवरणों का परीक्षण करना होता है:

कॉलम / फील्ड	विवरण एवं प्रक्रियात्मक निर्देश
प्रकरण क्रमांक (Case No.)	तहसीलदार न्यायालय द्वारा जारी अद्वितीय न्यायिक प्रकरण क्रमांक (उदा. 202303070200002)
खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल	आवेदित भूमि के खसरा नंबर एवं रकबा (हेक्टेयर में)
अधिकारी से प्राप्त ज्ञापन	तहसीलदार न्यायालय द्वारा जारी आदेश/ज्ञापन देखने हेतु "ज्ञापन देखें" लिंक पर क्लिक करें।
प्रतिवेदन समय सीमा	तहसील न्यायालय में सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तारीख।
चौहद्दी विवरण देखे	आवेदक द्वारा प्रविष्ट सीमावर्ती (चौहद्दी) खसरों एवं स्वामियों का विवरण देखने हेतु लिंक।

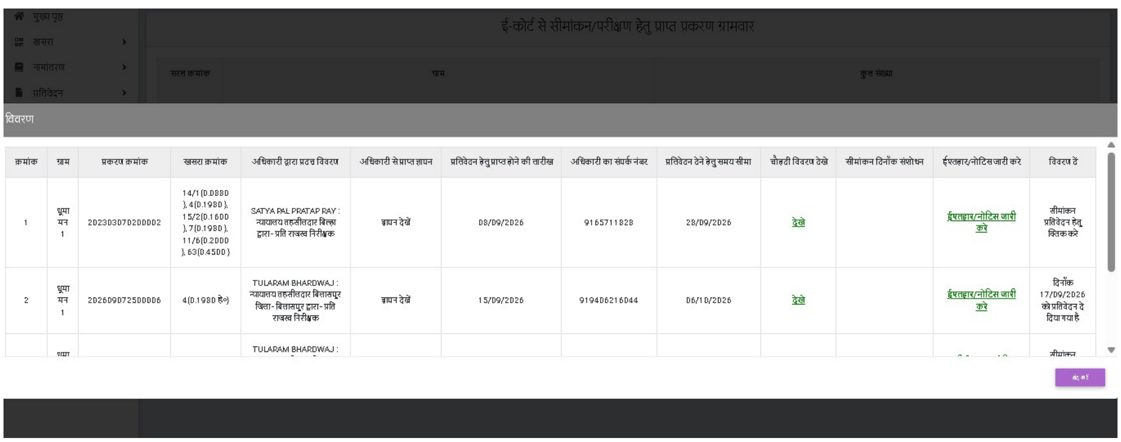

चित्र 3.1: विस्तृत सीमांकन विवरण तालिका (ज्ञापन, चौहद्दी, नोटिस जारी करने एवं प्रतिवेदन लिंक सहित)।

चरण 4: सीमावर्ती भूस्वामियों का सत्यापन एवं नवीन चौहद्दीदार प्रविष्टि (Boundary Verification)

4.1 चौहद्दी विवरण अवलोकन एवं नवीन चौहद्दीदार जोड़ना

सीमांकन की निष्पक्षता एवं विधिक वैधता सुनिश्चित करने हेतु आवेदित भूमि के चारों दिशाओं के सीमावर्ती भूस्वामियों (चौहद्दीदारों) को सूचना दिया जाना अनिवार्य है। नागरिक/आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय दर्ज चौहद्दीदार पोर्टल पर प्रदर्शित होते हैं:

विभागीय निर्देश: राजस्व निरीक्षक राजस्व नक्शे एवं खसरा खतौनी के आधार पर चौहद्दीदारों का सत्यापन करें। यदि कोई सीमावर्ती खसरा अथवा भूस्वामी छूट गया हो, तो उसे पोर्टल पर तत्काल जोड़ें।

- • प्रकरण तालिका में "चौहद्दी विवरण देखे" पर क्लिक करें। इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के खसरा नंबर, भूस्वामी का नाम व मोबाइल नंबर प्रदर्शित होंगे।

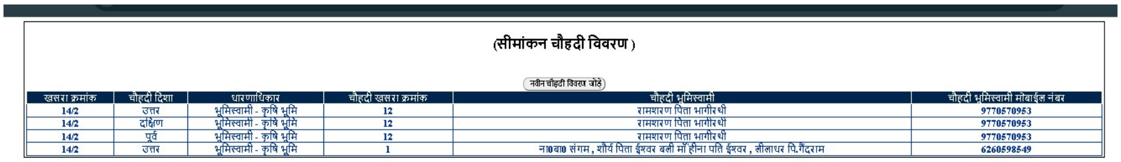

(सीमांकन चौहदी विवरण)

नवीन चौहदी विवरण जोड़े

खसरा क्रमांक	चौहदी दिशा	धारणाधिकार	चौहदी खसरा क्रमांक	चौहदी भूमिस्वामी	चौहदी भूमिस्वामी मोबाईल नंबर
14/2	उत्तर	भूमिस्वामी - कृषि भूमि	12	रामशरण पिता भागीरथी	9770570953
14/2	दक्षिण	भूमिस्वामी - कृषि भूमि	12	रामशरण पिता भागीरथी	9770570953
14/2	पूर्व	भूमिस्वामी - कृषि भूमि	12	रामशरण पिता भागीरथी	9770570953
14/2	उत्तर	भूमिस्वामी - कृषि भूमि	1	ना0बा0 संगम , शौर्य पिता ईश्वर बली माँ हीना पति ईश्वर , लीलाधर पि.गैंदराम	6260598549

चित्र 4.1: नागरिक द्वारा प्रविष्ट सीमावर्ती खसरों एवं भूस्वामियों का चौहद्दी विवरण।

- • छूटे हुए अथवा नए सीमावर्ती कृषक को जोड़ने हेतु "नवीन चौहद्दी विवरण जोड़े" बटन पर क्लिक करें।
- • प्रपत्र में दिशा का चयन करें, खसरा नंबर चुनें, भूस्वामी का नाम दर्ज करें तथा SMS सूचना प्रेषण हेतु उनका 10 अंकों का वैध मोबाइल नंबर दर्ज कर "चौहद्दी विवरण जोड़े" पर क्लिक करें।

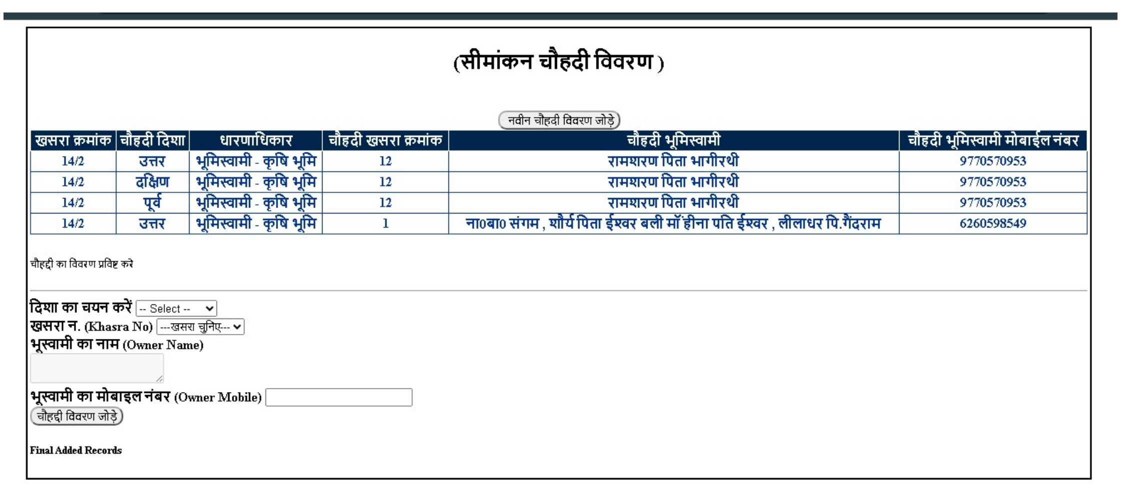

(सीमांकन चौहदी विवरण)

नवीन चौहदी विवरण जोड़े

खसरा क्रमांक	चौहदी दिशा	धारणाधिकार	चौहदी खसरा क्रमांक	चौहदी भूमिस्वामी	चौहदी भूमिस्वामी मोबाईल नंबर
14/2	उत्तर	भूमिस्वामी - कृषि भूमि	12	रामशरण पिता भागीरथी	9770570953
14/2	दक्षिण	भूमिस्वामी - कृषि भूमि	12	रामशरण पिता भागीरथी	9770570953
14/2	पूर्व	भूमिस्वामी - कृषि भूमि	12	रामशरण पिता भागीरथी	9770570953
14/2	उत्तर	भूमिस्वामी - कृषि भूमि	1	ना0बा0 संगम , शौर्य पिता ईश्वर बली माँ हीना पति ईश्वर , लीलाधर पि.गैंदराम	6260598549

चौहद्दी का विवरण प्रविष्ट करे

दिशा का चयन करें -- Select --
खसरा न. (Khasra No) ---खसरा चुनिए---
भूस्वामी का नाम (Owner Name)
भूस्वामी का मोबाइल नंबर (Owner Mobile)
चौहद्दी विवरण जोड़े

Final Added Records

चित्र 4.2: नए चौहद्दीदार भूस्वामी का नाम, खसरा व मोबाइल नंबर दर्ज करने का प्रपत्र।

चरण 5: सीमांकन तिथि निर्धारण एवं स्वतः नोटिस/इश्तेहार उत्पादन (Date Selection & Notices)

5.1 सीमांकन दिनांक का चयन एवं नोटिस/इश्तेहार जारी करना

चौहद्दी विवरण के सत्यापन के उपरांत राजस्व निरीक्षक को स्थल पर भौतिक सीमांकन हेतु तिथि निर्धारित करनी होती है:

- • कार्यवाही कॉलम में "ईश्तहार / नोटिस जारी करे" लिंक पर क्लिक करें।
- • संवाद बॉक्स (Dialog Box) में कैलेंडर से प्रस्तावित सीमांकन की तारीख का चयन करें।
- • तारीख दर्ज करने के बाद "सुरक्षित कर ईश्तहार / नोटिस जारी करे" बटन पर क्लिक करें।

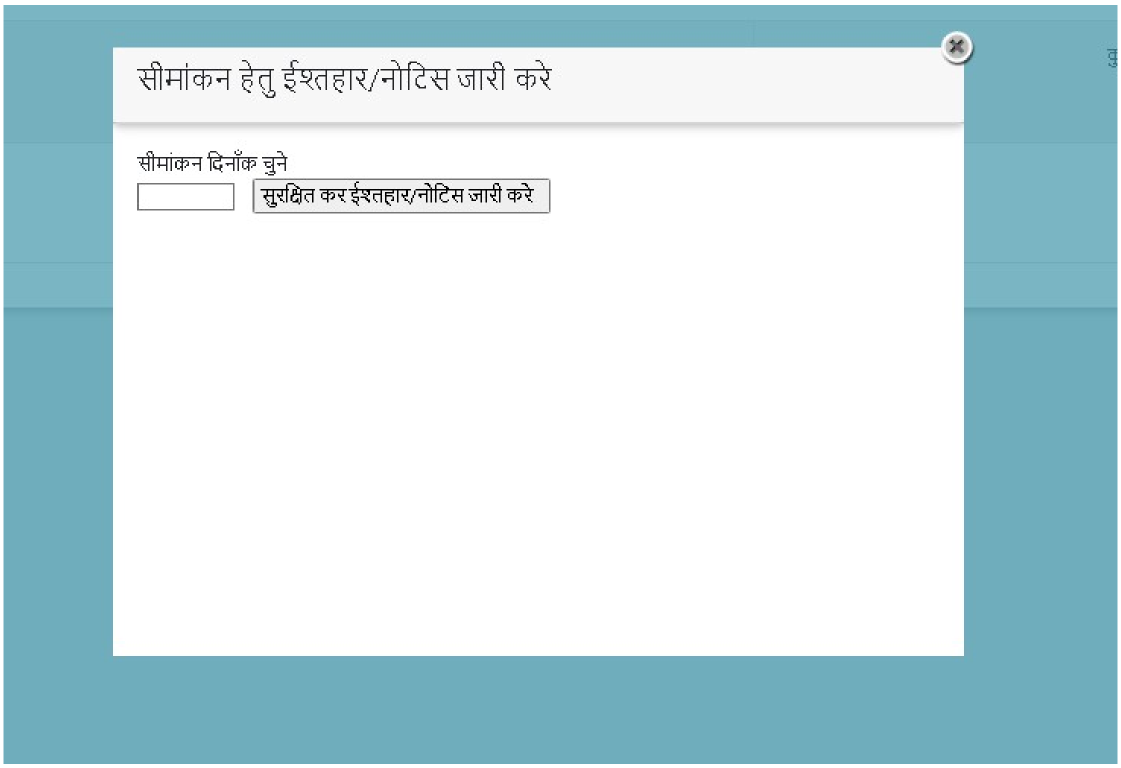

चित्र 5.1: स्थल सीमांकन की तिथि चयन एवं नोटिस सुरक्षित करने का संवाद बॉक्स।

स्वतः एसएमएस एवं डिजिटल सूचना प्रेषण: दिनांक सुरक्षित होते ही भुइयां प्रणाली द्वारा स्वतः नोटिस व इश्तेहार जनरेट कर दिया जाता है। इसका डाउनलोड लिंक आवेदक के मोबाइल नंबर पर तथा व्यक्तिगत सूचना पत्र (नोटिस) का लिंक सभी चौहद्दीदार भूस्वामियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा तुरंत प्रेषित हो जाता है।

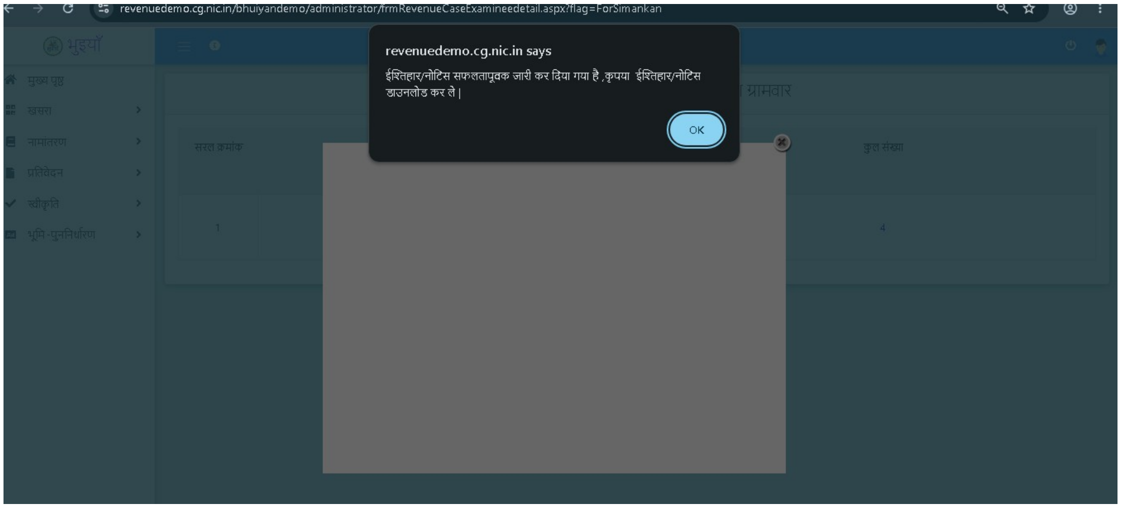

चित्र 5.2: इश्तेहार/नोटिस सफलतापूर्वक जारी होने एवं डाउनलोड करने का सिस्टम संदेश।

चरण 6: विधिक प्रपत्रों का सत्यापन एवं मुद्रण (Legal Formats & Verification)

6.1 जारी इश्तेहार एवं नोटिस विवरण का अवलोकन व प्रिंट

राजस्व निरीक्षक पोर्टल के दस्तावेज़ भंडार से स्वतः जनित कानूनी प्रपत्रों का परीक्षण एवं प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं:

- • जारी दस्तावेज़ सूची में "देखे" लिंक पर क्लिक करके नोटिस एवं इश्तेहार पीडीएफ डाउनलोड या प्रिंट करें।

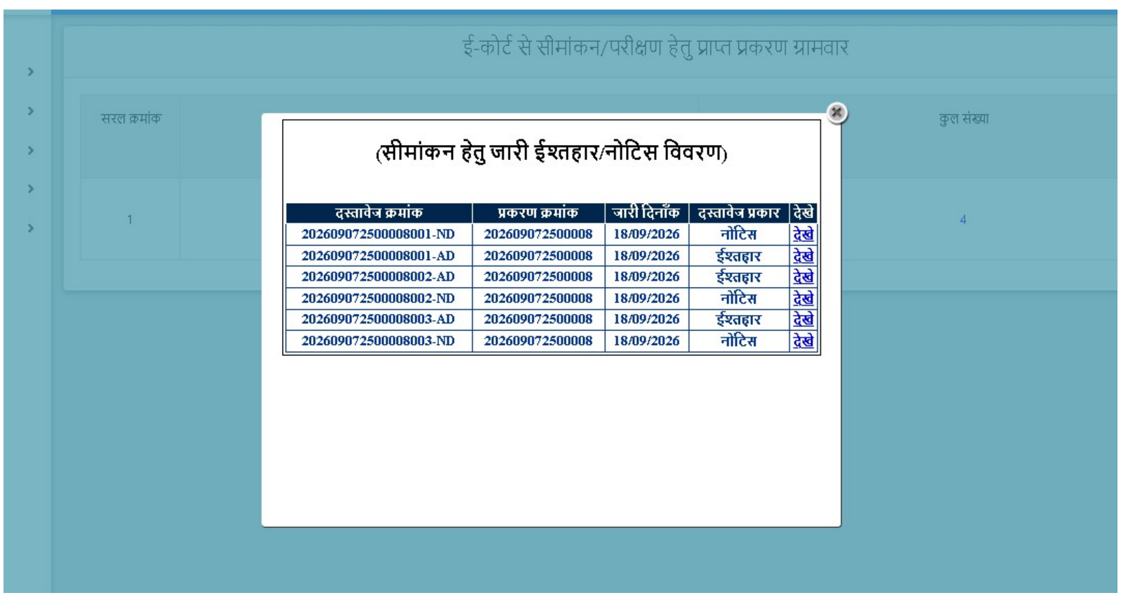

दस्तावेज क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	जारी दिनाँक	दस्तावेज प्रकार	देखे
202609072500008001-ND	202609072500008	18/09/2026	नोटिस	देखे
202609072500008001-AD	202609072500008	18/09/2026	ईश्तहार	देखे
202609072500008002-AD	202609072500008	18/09/2026	ईश्तहार	देखे
202609072500008002-ND	202609072500008	18/09/2026	नोटिस	देखे
202609072500008003-AD	202609072500008	18/09/2026	ईश्तहार	देखे
202609072500008003-ND	202609072500008	18/09/2026	नोटिस	देखे

चित्र 6.1: सीमांकन हेतु जारी व्यक्तिगत नोटिस एवं आम सूचना (इश्तेहार) की सूची।

- • सीमांकन सूचना (व्यक्तिगत नोटिस): इसमें आवेदक एवं समस्त चौहद्दीदारों के नाम अंकित होते हैं, जिसमें उन्हें निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।

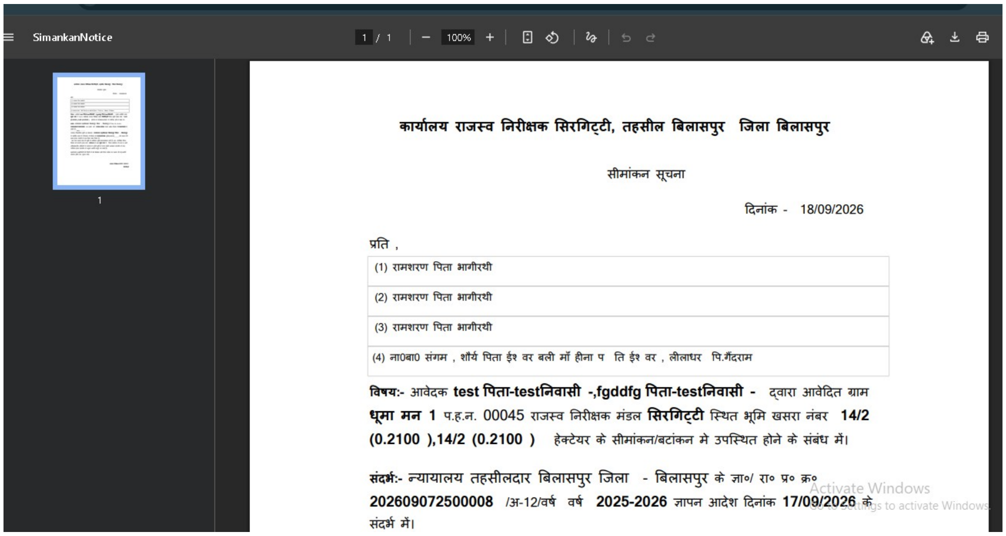

कार्यालय राजस्व निरीक्षक सिरगिट्टी, तहसील बिलासपुर जिला बिलासपुर

सीमांकन सूचना

दिनांक - 18/09/2026

प्रति ,

(1) रामशरण पिता भागीरथी
(2) रामशरण पिता भागीरथी
(3) रामशरण पिता भागीरथी
(4) ना0बा0 संगम , शौर्य पिता ईश वर बली माँ हीना प ति ईश वर , लीलाधर पि.गैंदराम

विषय:- आवेदक **test पिता-testनिवासी -,fgddfg पिता-testनिवासी -** द्वारा आवेदित ग्राम **धूमा मन 1** प.ह.न. 00045 राजस्व निरीक्षक मंडल **सिरगिट्टी** स्थित भूमि खसरा नंबर **14/2 (0.2100),14/2 (0.2100)** हेक्टेयर के सीमांकन/बटांकन मे उपस्थित होने के संबंध में।

संदर्भ:- न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर जिला - बिलासपुर के ज्ञा०/ रा० प्र० क्र० **202609072500008** /अ-12/वर्ष वर्ष **2025-2026** ज्ञापन आदेश दिनांक **17/09/2026** के संदर्भ में।

चित्र 6.2: राजस्व निरीक्षक कार्यालय द्वारा जारी 'सीमांकन सूचना' (व्यक्तिगत नोटिस) का प्रारूप।

- • आम सूचना (इश्तेहार): सर्वसाधारण की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, पटवारी कार्यालय एवं तहसील सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु सार्वजनिक सूचना प्रपत्र तैयार होता है।

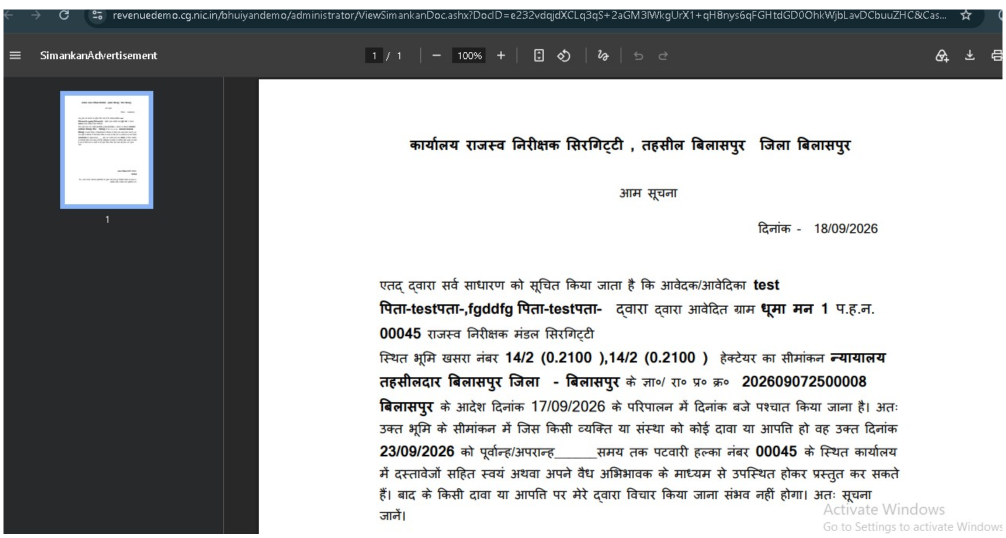

कार्यालय राजस्व निरीक्षक सिरगिट्टी , तहसील बिलासपुर जिला बिलासपुर

आम सूचना

दिनांक - 18/09/2026

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका **test पिता-testपता-,fgddfg पिता-testपता-** द्वारा द्वारा आवेदित ग्राम **धूमा मन 1** प.ह.न. **00045** राजस्व निरीक्षक मंडल सिरगिट्टी स्थित भूमि खसरा नंबर **14/2 (0.2100),14/2 (0.2100)** हेक्टेयर का सीमांकन **न्यायालय तहसीलदार बिलासपुर जिला - बिलासपुर** के ज्ञा०/ रा० प्र० क्र० **202609072500008 बिलासपुर** के आदेश दिनांक 17/09/2026 के परिपालन में दिनांक बजे पश्चात किया जाना है। अतः उक्त भूमि के सीमांकन में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो वह उक्त दिनांक **23/09/2026** को पूर्वान्ह/अपरान्ह______समय तक पटवारी हल्का नंबर **00045** के स्थित कार्यालय में दस्तावेजों सहित स्वयं अथवा अपने वैध अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद के किसी दावा या आपत्ति पर मेरे द्वारा विचार किया जाना संभव नहीं होगा। अतः सूचना जानें।

चित्र 6.3: सार्वजनिक प्रकाशन हेतु जारी 'आम सूचना / इश्तेहार' का प्रारूप।

चरण 7: स्थल प्रतिवेदन प्रविष्टि, दस्तावेज़ अपलोड एवं आपत्ति निराकरण (Report & Objection Management)

7.1 सीमांकन प्रतिवेदन प्रविष्टि, चेकलिस्ट एवं अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड

हल्का पटवारी एवं पक्षकारों की उपस्थिति में स्थल पर भौतिक सीमांकन पूर्ण करने के पश्चात राजस्व निरीक्षक को पोर्टल पर "विवरण दें" लिंक से प्रतिवेदन प्रविष्ट करना होता है:

चेकलिस्ट / अनिवार्य बिंदु	प्रक्रियात्मक प्रविष्टि एवं अपलोड
सीमांकन किया गया है या नहीं	स्थल पर सीमांकन संपन्न हुआ अथवा नहीं (हाँ / नहीं रेडियो बटन)
Field Book तैयार किया गया है या नहीं	नजरी नक्शा / फील्ड बुक स्थल पर तैयार हुआ अथवा नहीं (हाँ / नहीं)।
क्या सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत की गई है	सीमांकन के दौरान किसी पक्ष द्वारा औपचारिक आपत्ति दी गई (हाँ / नहीं)।
अनिवार्य स्कैन दस्तावेज़ अपलोड	• प्रतिवेदन रिपोर्ट (Prativedan Report) • पंचनामा (Panchnama उपस्थित पक्षकारों व गवाहों के हस्ताक्षर युक्त) • फील्ड बुक (Field Book पैमाइश नक्शा/ट्रेस) • सूचना पत्र (Notice Copy) • इश्तेहार / नोटिस (Advertisement Copy) • आपत्ति पत्र (Objection Petition यदि प्राप्त हुआ हो)

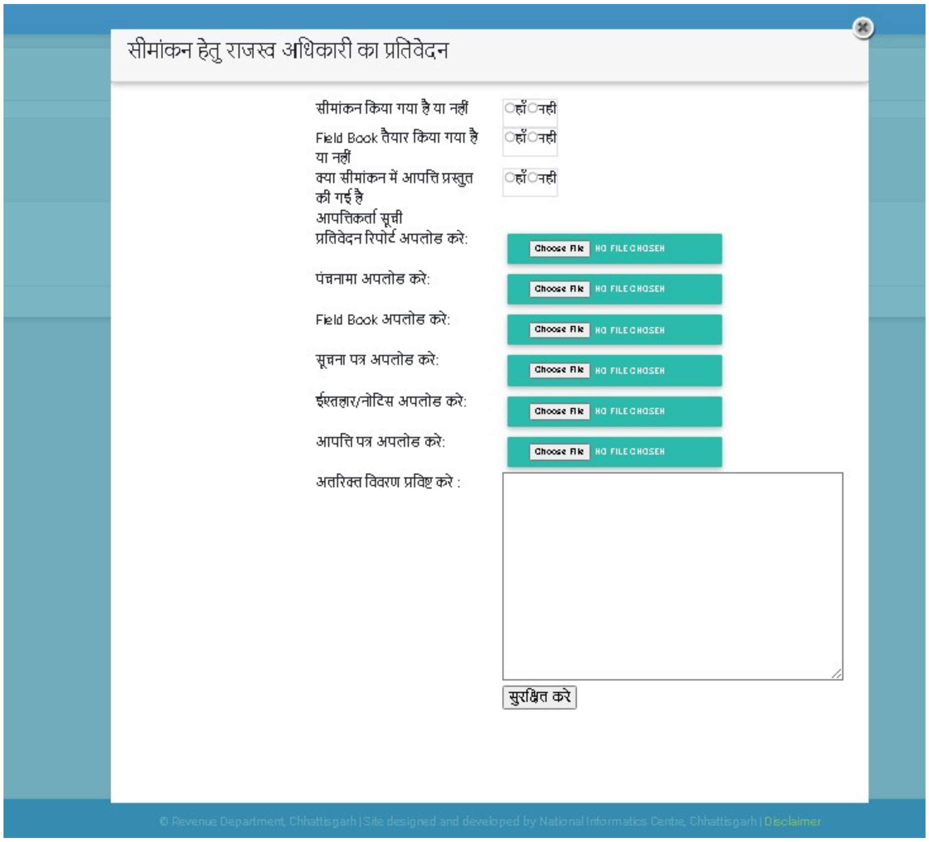

चित्र 7.1: सीमांकन हेतु राजस्व अधिकारी का प्रतिवेदन प्रपत्र एवं अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड स्क्रीन।

7.2 आपत्ति दर्ज होने की स्थिति में विशेष प्रक्रिया (आपत्तिकर्ता प्रविष्टि):

यदि किसी सीमावर्ती कृषक अथवा नागरिक द्वारा सीमांकन में कोई आपत्ति दर्ज कराई जाती है और आर. आई. द्वारा रेडियो बटन में "हाँ" का चयन किया जाता है, तो पोर्टल पर आपत्तिकर्ता विवरण प्रपत्र खुल जाता है:

- • राजस्व निरीक्षक आपत्तिकर्ता का नाम, पिता का नाम, पता तथा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करें।
- • प्राप्त आपत्ति पत्र की स्कैन प्रति संलग्न (Upload) करें तथा "आपत्तिकर्ता जोड़ें" पर क्लिक करें।
- • प्रतिवेदन सुरक्षित करते ही तहसील ई-कोर्ट में आगामी 3 कार्यदिवसों के भीतर सुनवाई की तिथि स्वतः नियत हो जाती है तथा आवेदक व आपत्तिकर्ता दोनों के मोबाइल पर पेशी सूचना का एसएमएस स्वतः प्रेषित हो जाता है।

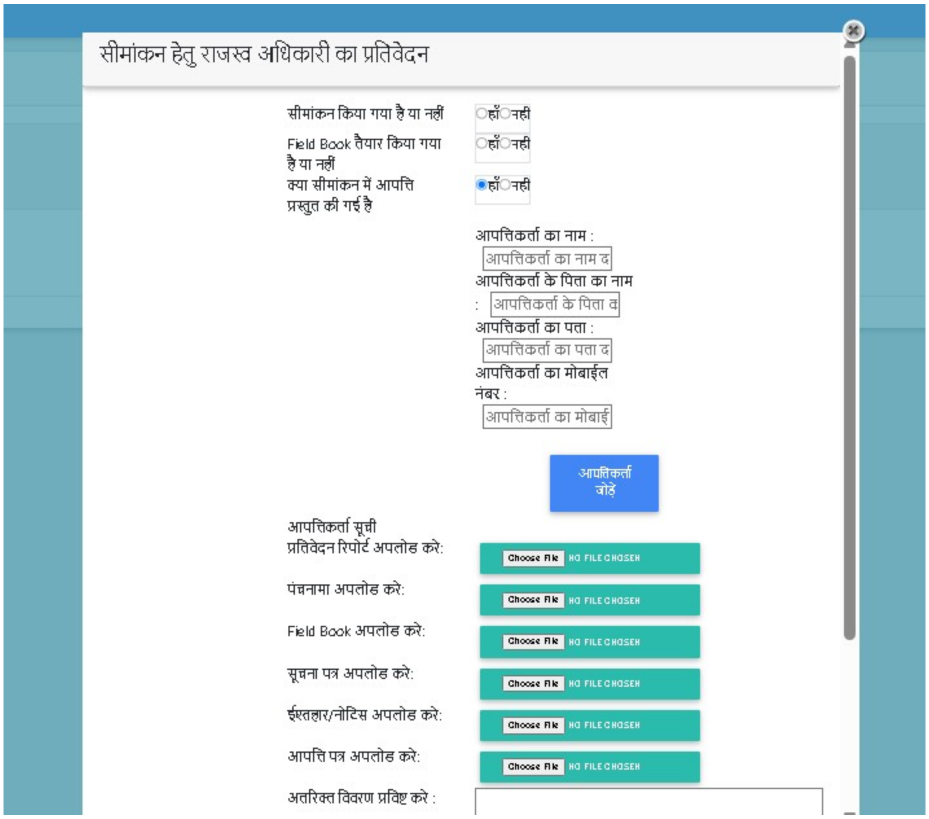

चित्र 7.2: सीमांकन में आपत्ति प्रस्तुत होने पर आपत्तिकर्ता विवरण प्रविष्टि एवं स्वतः सुनवाई सूचना व्यवस्था।

समाप्त: यह उपयोगकर्ता पुस्तिका छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (CGLRC) के तहत सीमांकन प्रकरणों के पारदर्शी, त्वरित एवं समयबद्ध ऑनलाइन निराकरण हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) छत्तीसगढ़ एवं राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार की गई है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

सीमांकन आवेदन प्रणाली

नागरिक उपयोगकर्ता पुस्तिका (Citizen User Manual)

1. प्रस्तावना

सीमांकन आवेदन प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को अपनी भूमि के सीमांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करना है। इस प्रणाली के माध्यम से नागरिक घर बैठे सीमांकन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

यह प्रणाली आवेदन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने हेतु विकसित की गई है।

2. नागरिक के प्रमुख कार्य

नागरिक निम्न कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं:

1. पोर्टल में लॉगिन करना।
2. आवेदन से संबंधित जानकारी दर्ज करना।
3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना।
4. OTP के माध्यम से आवेदन का सत्यापन करना।
5. आवेदन क्रमांक एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक प्राप्त करना।

➢ **सीमांकन आवेदन की प्रक्रिया**

लॉगिन → आवेदन प्रस्तुत → OTP सत्यापन → आवेदन पंजीकरण → राजस्व प्रकरण निर्माण → आवेदन ट्रैकिंग

आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात प्रणाली द्वारा निम्न विवरण प्रदर्शित किया जाएगा:

- आवेदन क्रमांक (Application Number)
- राजस्व प्रकरण क्रमांक (Revenue Case Number)

भविष्य में आवेदन की स्थिति देखने हेतु इन क्रमांकों को सुरक्षित रखें।

3.नागरिक लॉगिन प्रक्रिया

1. नागरिक पोर्टल खोलें।

   URL: https://revenue.cg.nic.in/citizenrequest/Login.aspx

2. अपना लॉग इन आईडी, पासवर्ड व कैप्चा प्रविष्ट करके **"लॉग इन"** बटन पर क्लिक करें।

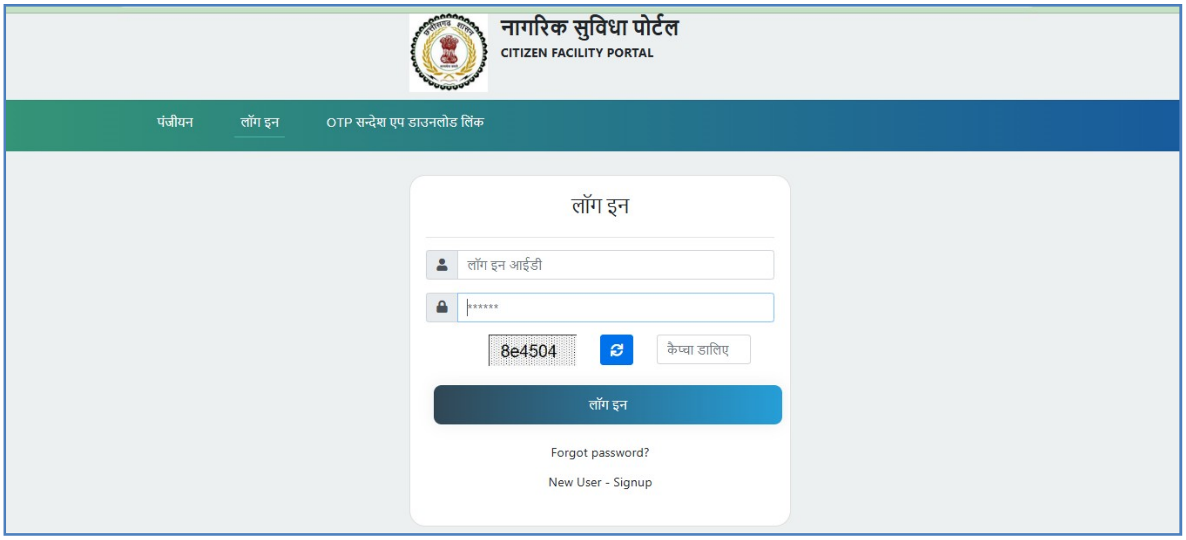

3. सफलतापूर्वक लॉग इन के पश्चात डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा.

4. प्रदर्शित मेनू से **“सीमांकन हेतु आवेदन”** विकल्प का चयन करें. सीमांकन हेतु आवेदन प्रदर्शित होगा |

5. सर्वप्रथम आवेदन में **भूमि से संबंधित** जानकारी प्रविष्ट करें. खसरा क्रमांक चयन करने के पश्चात खसरे संबंधित चौहद्दी का विवरण प्रविष्ट करें|

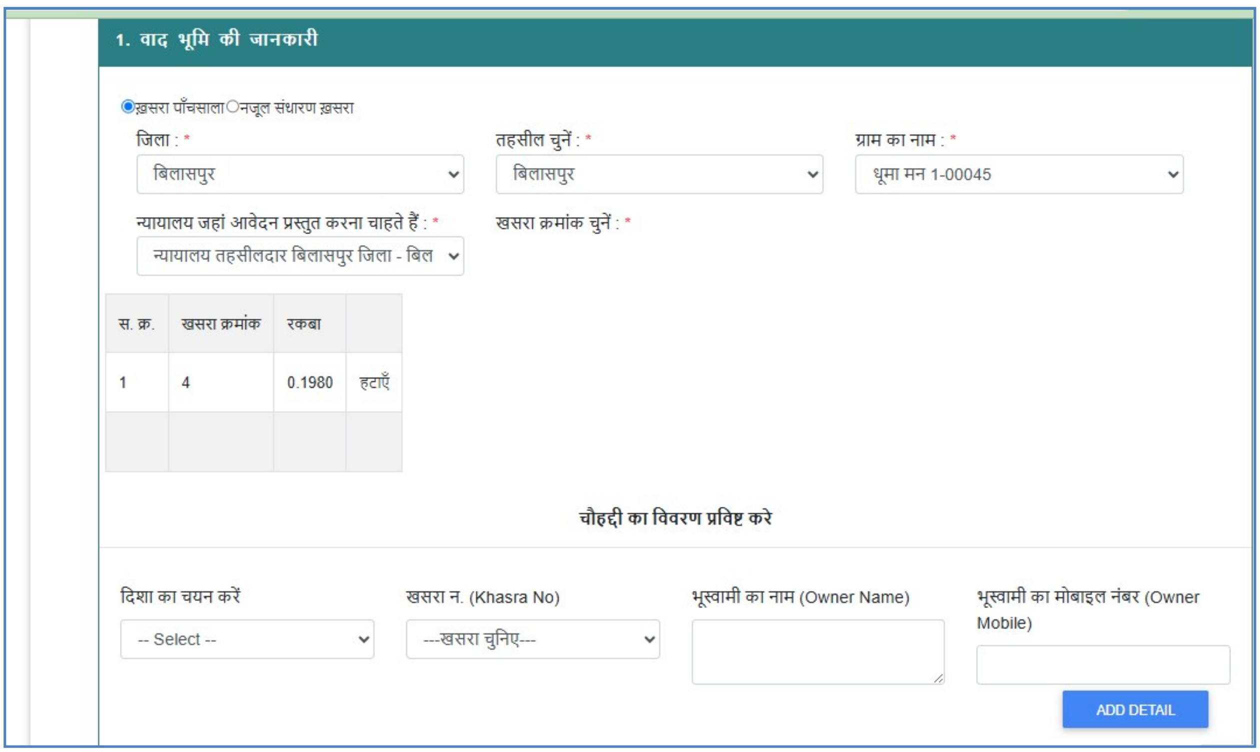

6. चौहद्दी विवरण की प्रविष्टी पश्चात अगर अन्य खसरा जोड़ना चाहते है तो **"सीमांकन हेतु अन्य खसरा जोड़े"** बटन पर क्लिक करे व खसरा चयन करके संबंधित खसरे का चौहद्दी की विवरण प्रविष्ट करके आगे बढ़ सकते है

4. तत्पश्चात चालान से संबंधित विवरण प्रविष्ट करके **"ई चालान की जाँच करे"** बटन पर क्लिक करें**.**

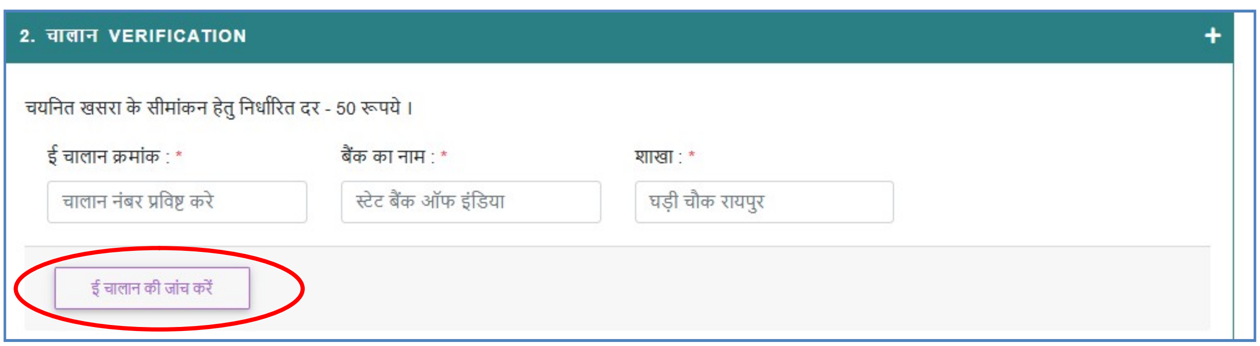

5. चालान की जानकारी प्रविष्ट करने के पश्चात आवेदक की जानकारी प्रविष्ट करके (एक से अधिक आवेदक जोड़ सकते हैं) “**आवेदक जोड़े**” बटन पर क्लिक करें

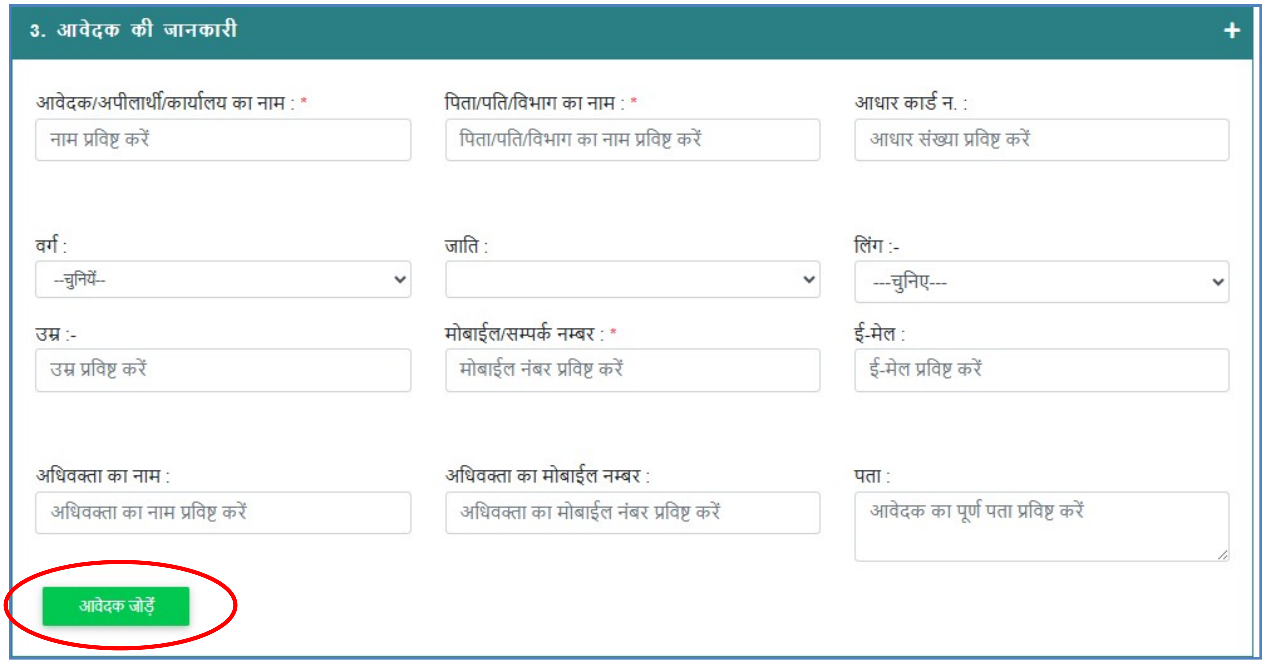

6. आवेदक जोड़ने के पश्चात सामान्य जानकारी की प्रविष्ट करे. सामान्य जानकारी प्रविष्ट करने के पश्चात सीमांकन आवेदन प्राप्त करने के लिए “**आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु क्लिक करे**” बटन पर क्लिक करें. आवेदन प्रारूप प्राप्त होगा जिसे स्वहस्ताक्षर करके व संबंधित अन्य (नक्शा व बी-1) फाइल अपलोड करे

7. फाइल अपलोड करने के बाद OTP हेतु मोबाइल नंबर का चयन करे व **"ओटीपी प्राप्त करे"** बटन पर क्लिक करें

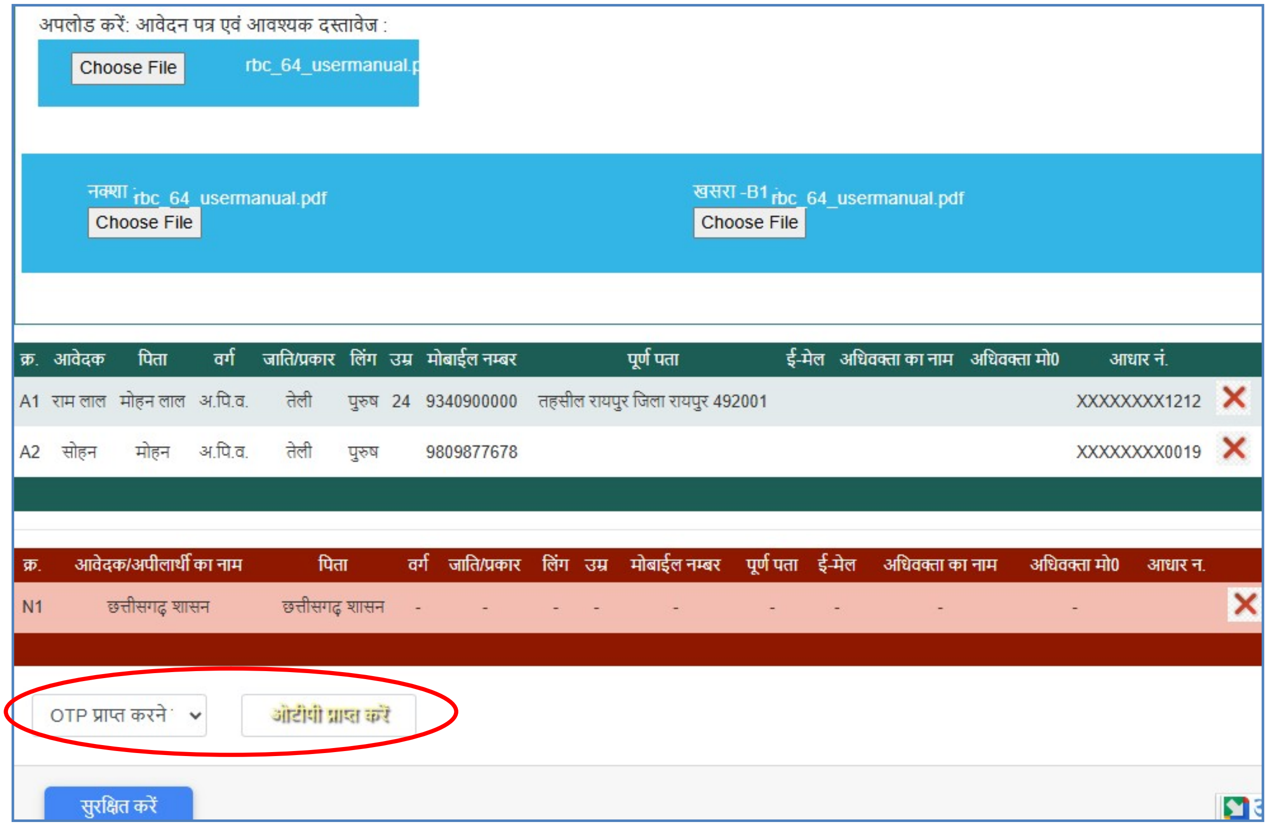

8. चयनित मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP प्रविष्ट करने के बाद स्वघोषणा पर क्लिक करके **"सुरक्षित करे"** बटन पर क्लिक करे. आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज होने पर आपको **आवेदन क्रमांक व राजस्व प्रकरण क्रमांक** प्राप्त होगा.

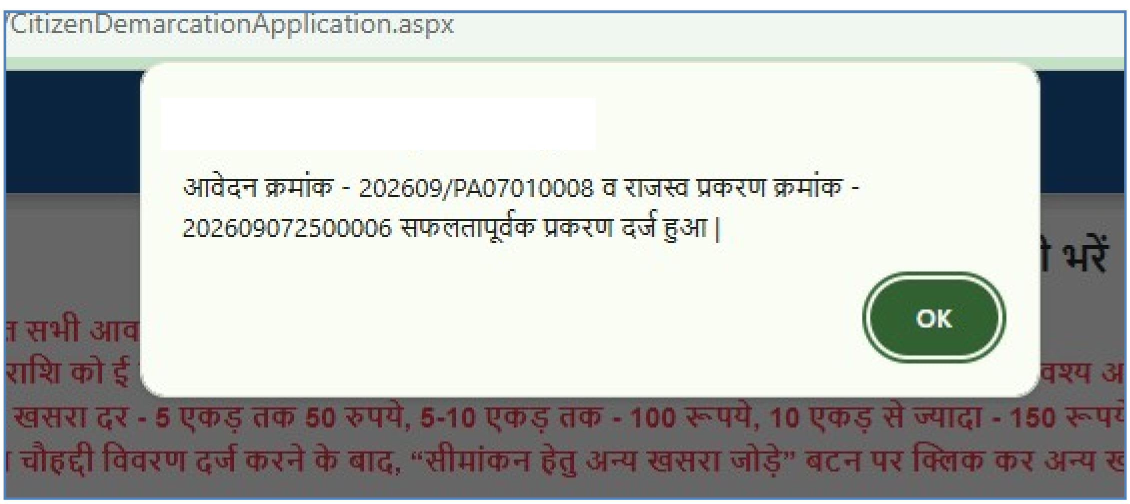

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन,प्रथम तल,ब्लॉक2-,नवा रायपुर,अटल नगर

फोन नं0771-2234584 ,0771-2234583 ., ई-मेल-clr-cg@nic.in

क्रमांक/5696/आ.भू.अ./भुइयां/2026 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक..16/09/26

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
(भू-अभिलेख शाखा)
जिला- ....

विषयः ई-कोर्ट अंतर्गत सीमांकन आवेदन प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन किए जाने के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सीमांकन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण के उद्देश्य से सीमांकन हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन किया जा रहा है| ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से राजस्व न्यायालयों में मेनुअल रूप से आवेदन प्राप्त किया जाकर प्रकरण दर्ज किये जाने का प्रावधान/सुविधा समाप्त किया जा रहा है| ऑनलाइन व्यवस्था अंतर्गत भविष्य में आवेदन लोक सेवा केंद्र/च्वाइस सेंटर एवं ऑनलाइन नागरिक सुविधा पोर्टल/सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन दर्ज होकर ही प्राप्त होंगे |

सीमांकन आवेदन प्राप्त होने से लेकर संबंधित राजस्व न्यायालय में पंजीयन, प्रकरण की कार्यवाही, राजस्व निरीक्षक को ऑनलाइन ज्ञापन प्रेषण, स्थल निरीक्षण पंचनामा ,सीमांकन प्रतिवेदन तथा संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किए जाने सहित संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रकरण की लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय-सीमा एवं प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देशित करने का कष्ट करे कि न्यायालयों में पूर्व से प्राप्त समस्त आवेदन की जाँच आगामी 07 दिवस में अवश्य कर लिया जाए | सीमांकन कार्य से संबंधित समस्त तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षकों को उक्त नवीन ऑनलाइन मॉड्यूल के संबंध में आवश्यक रूप से अवगत कराते हुए अधिकतम 07 दिवस के भीतर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सभी प्रकरण पंजीकृत है| ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण workflow की विस्तृत जानकारी पृथक से प्रेषित किया जायेगा |

संचालक
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

पृ.क्र./5697/आ.भू.अ/भुइयां/2026 नवा रायपुर,अटल नगर दिनांक .16/.09/26

प्रतिलिपि:

सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

VINIT NANDANWAR
SPECIAL SECRETARY
संचालक
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

Digitally signed by
Vinit Nandanwar
Date: 11-09-2026